

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2 (24) 2017 / कार्मिक / प्रमुवस /

दिनांक दिसम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2017-18 की बैठक दिनांक 16.04.2018 में डैफर्ड किये गये क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को पदोन्नति देने हेतु रिव्यू बैठक दिनांक 18.12.2018 की अभिशषानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम की रिक्तियों के विरुद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर वर्ष 2017-18 हेतु वेतनमान एल-11 (37800-119700) में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये जाने का आदेश प्रचलित किये जाते हैं :-

क्र.स.	नाम क्षेत्रीय द्वितीय सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	एस.सी / एस.टी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	गणपत दान	अम्बादान	-	
2	बालमा राम	अलसी राम	-	सेवानिवृत्त 31.07.2018

यदि उपरोक्त श्री गणपत दान दिनांक 01.01.2019 तक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर अपने वर्तमान कार्यालय में उपस्थिति नहीं देते हैं तो यह मान लिया जावेगा कि ऐसे अधिकारी पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं एवं इस अवसर को फोरगो (FORGO) मानते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त पदोन्नत क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे।

(सी.एस.रत्नासामी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HOFF),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2 (24) 2017 / कार्मिक / प्रमुवस / 4097-4105

दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
3. उप वन संरक्षक, बाडमेर / पाली
4. अध्यक्ष, राजस्थान फोरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन, जयपुर / राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ, जयपुर
5. श्री द्वारा उप वन संरक्षक, बाडमेर
6. रक्षित पत्रावली

(कुमार स्वामी गुप्ता)
उप वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर